

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/P/22/00136

दिनांक 25.03.2022

सेवा में,

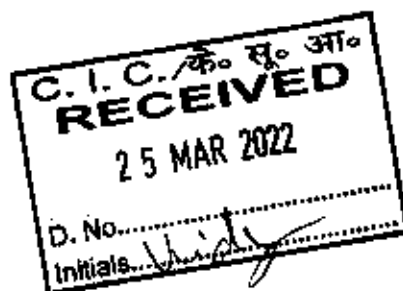
श्री रविन्द्र कुमार
अम्बेडकर नगर
रोड, निकट राठी मील
पिन - 201009

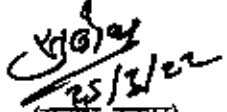
आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

उक्त विषयक आपका दिनांक 11.02.2022 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 21.03.2022 को प्राप्त हुआ, का अवलोकन करें

आपके आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग में उपलब्ध नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केवल द्वितीय अपीलीय अधिकरण है यहाँ किसी अन्य कार्यालयों से संबंधित सूचनाएँ नहीं होती हैं। आपके आवेदन के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि आप सूचना से संबंधित कार्यालय में वांछित सूचना हेतु आर.टी.आई. आवेदन पहले ही दाखिल कर चुके हैं। इस संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि यदि किसी कार्यालय द्वारा समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हों तो सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित हैं, के समक्ष प्रथम अपील दाखिल किया जाना चाहिए। अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तो 90 दिनों के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं। द्वितीय अपील आवेदन के साथ लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ (स्वअभिप्रमाणित) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री अजितकुमार बसंतराव सोनटक्के, प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 को की जा सकती है।




(सुबोध कुमार)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई. सेल
दूरभाष - 011-26172690

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/P/22/00136

दिनांक. 25.03.2022

सेवा में,

श्री रविन्द्र कुमार

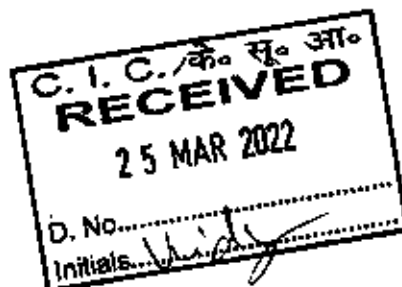
विषय:- सूचना आयोग केन्द्रीय सूचना आयोग

महोदय/महोदया,

उक्त विषयक आपका दिनांक 11.02.2022 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 21.03.2022 को प्राप्त हुआ, का अवलोकन करें

आपके आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग में उपलब्ध नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केवल द्वितीय अपीलीय अधिकरण है यहाँ किसी अन्य कार्यालयों से संबंधित सूचनाएँ नहीं होती हैं। आपके आवेदन के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि आप सूचना से संबंधित कार्यालय में वांछित सूचना हेतु आर.टी.आई. आवेदन पहले ही दाखिल कर चुके हैं। इस संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि यदि किसी कार्यालय द्वारा समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हों तो सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित हैं, के समक्ष प्रथम अपील दाखिल किया जाना चाहिए। अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तो 90 दिनों के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं। द्वितीय अपील आवेदन के साथ लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ (स्वअभिप्रेमणित) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री अजितकुमार बसंतराव सोनटक्के, प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 को की जा सकती है।




(सुबोध कुमार)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690